छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
पुराना नर्सेस हास्टल, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/रजि0 नर्सिंग का0/2020/728 रायपुर, दिनांक 06/05/2020

प्रति,

समस्त
निजी, एवं शासकीय
ए.एन.एम. प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़

विषयः— छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन द्वारा आयोजित 33 वीं काउन्सिल परीक्षा के ए.एन.एम. पुनर्गणना (Re-Totaling) की सूचना बाबत्।

छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेषन काउन्सिल द्वारा 33 वीं काउन्सिल परीक्षा के पुनर्गणना हेतु आवेदन आंमत्रित किए जाते है। छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में पुनर्गणना **(Re-Totaling)** हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 15/**05**/**2020** है।

पुनर्गणना आवेदन – पत्र संबंधी प्रकिया के निर्देश निम्न है :—

(1) परीक्षार्थी काउन्सिल द्वारा पुनर्गणना हेतु निर्धारित नियमों व निर्देश का समुचित अध्ययन करने के उपरांत नियमों के अधीन पुनर्गणना हेतु आवेदन करे।

(2) छात्र अपना आवेदन पत्र अपने संस्था के प्रचार्य के माध्यम से काउन्सिल में स्वंय उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते है। पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन इस पते पर भेजे।

प्रति,
रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल रायपुर
पुराना नर्सेस हास्टल डी.के.एस. परिसर, रायपुर

(लिफाफे पर मोटे अक्षरो में पुनर्गणना (Re-Totaling) आवश्यक अंकित करे)

(3) आवेदन पत्र सोच समझकर सही सही भरा जावे। आवेदन पत्र के किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(4) पुनर्गणना शुल्क **100 रू.** प्रति विषय व फार्म शुल्क **50**/– प्रति फार्म आवेदक को ऑनलाईन पेमेंन्ट मोड़ से **(Online Payment Mode)** स्वीकार्य होगा।

(5) अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जाएगा। भुगतान केवल **Online Payment Mode** द्वारा ही मान्य होगा।

P.T.O..........

(6) पुनर्गणना हेतु अंकसूची/टी.आर.शीट. की प्रतिलिपि लगाना अनिवार्य है।

(7) ए.एन.एम. के नियमित छात्र अधिक्तम तीन विषयों के प्राप्तांक पर पुनर्गणना करवाने हेतू पात्र होगें जिसमे प्रायोगिक (Practical) व आंतरिक (Internal) प्रांप्तांक लागू नही होगा।

(8) पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित नियमों के आधार पर पात्रतानुसार स्वीकार्य नही किया जावेगा।

(अ) पूरक/ए.टी.के.टी की हैसीयत से सम्मिलित द्वितीय परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्गणना हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जावेगे।
(ब) प्रायोगिक परीक्षाओं व आंतरीक मूल्यांकन में

(9) परीक्षार्थियों को पुनर्गणना परिणाम की सूचना/जानकारी संबधित संस्था के माध्यम से स्वतः लेनी होगी।

(10) परीक्षार्थियों को पुनर्गणना परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर संबधित परीक्षा (यदि उनके परिणाम घोषित नही हुए हो तो) काउन्सिल को अवगत कराना आवश्यक है, ताकी इस संबंध कार्यवाही किया जा सके।

(11) पुनर्गणना के पश्चात् यदि छात्र मूल प्राप्तांक से कम या अधिक अंक प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति मे कम यो अधिक प्राप्त अंको को बराबर उसके प्राप्तांक माने जायेगें।

(12) पुनर्गणना के लिए छात्रो द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किये गये तो काउन्सिल को पूर्ण अधिकार है कि एक ही आवेदन पर विचार किया जायेगा।

06/05/2020

रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छ.ग.

क्रमांक/रजि0 नर्सिंग कां0/2020/ **रायपुर, दिनांक / /2020**

प्रतिलिपी :–

1. अध्यक्ष, छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेषन काउन्सिल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वेबसाईट प्रति।

))

रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छ.ग.